

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

9 मार्च, 2000 (प्रथम बैठक)

खण्ड 1, अंक 1

अधिकृत विवरण



विषय सूची

वीरवार, 9 मार्च, 2000 (प्रथम बैठक)

	पृष्ठ संख्या
घोषणा—	
सचिव द्वारा	(1) 1
सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान	(1) 1
सदस्य द्वारा त्यागपत्र	(1) 6
अनुपस्थिति संबंधी सूचना	(1) 7
अध्यक्ष का चुनाव	(1) 7
बधाई भाषण	(1) 9
उपाध्यक्ष के चुनाव सम्बन्धी घोषणा	(1) 11

मूल्य :

17 00

हरियाणा विधान सभा

बीरवार, 9 मार्च, 2000 (प्रथम बैठक)

12
MVS's
14/8/20

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सेक्टर-1, चण्डीगढ़ में 11.00 बजे हुई। कार्यकारी अध्यक्ष (श्री भागी राम) ने 11.00 बजे से 12.50 बजे तक तथा तत्पश्चात् अध्यक्ष (श्री यतवीर सिंह कावयान) ने अध्यक्षता की।

सचिव द्वारा घोषणा

सचिव : मान्यवर, मुझे सदन को सूचित करना है कि हरियाणा के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 180(1) द्वारा उन्हें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री भागीराम, एम०एल०ए० को हरियाणा विधानसभा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है।

मुझे सदन को यह भी सूचित करना है कि हरियाणा के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 188 द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा विधान सभा के कार्यकारी अध्यक्ष को ऐसे व्यक्ति के रूप में नियुक्त किया है जिसके समक्ष हरियाणा विधान सभा का प्रत्येक सदस्य/सदस्या, अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व, शपथ लेगा/लेगी/प्रतिज्ञान करेगा/करेगी।

सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

श्री कार्यकारी अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सर्व प्रथम मैं आप सभी को हरियाणा विधान सभा के सदस्य निर्वाचित होने पर अपनी तहेदिल से हार्दिक बधाई देता हूँ तथा इस महान सदन में आप सबका हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ।

अब माननीय सदस्यगणों को शपथ दिलावायी जाएगी। शपथ या प्रतिज्ञान लेने तथा उस पर हस्ताक्षर करने के उद्देश्य के लिए अब सदस्यों के नाम सचिव द्वारा पुकारे जाएंगे। माननीय सदस्यगण निम्नलिखित क्रम में शपथ या प्रतिज्ञान लेंगे तथा उस पर हस्ताक्षर करेंगे।

1. मुख्यमंत्री
2. मंत्री
3. सदस्याएं
4. अन्य माननीय सदस्य जिलावार वर्णानुक्रम से वर्णानुक्रमिक क्रम में, अर्थात्—
 - (क) अम्बाला जिला
 - (ख) भिवानी जिला
 - (ग) फरीदाबाद जिला
 - (घ) फतेहाबाद जिला

[श्री कार्यकारी अध्यक्ष]

- (इ) गुड़गांव जिला
- (घ) हिसार जिला
- (छ) झज्जर जिला
- (ज) जींद जिला
- (झ) कैथल जिला
- (ञ) करनाल जिला
- (ट) कुरुक्षेत्र जिला
- (ठ) महेन्द्रगढ़ जिला
- (ड) पंचकुला जिला
- (ढ) पानीपत जिला
- (ण) रिवाड़ी जिला
- (त) रोहतक जिला
- (थ) सिरसा जिला
- (द) सोनीपत जिला
- (ध) यमुनामगर जिला

उन सदस्यों के नाम दोबारा अन्त में पुकारे जाएंगे जो प्रथम बुलावे पर शपथ नहीं ले सके या प्रतिज्ञान नहीं कर सके।

अब, सचिव सदस्यों को एक एक करके बुलाएंगे।

सचिव : माननीय मुख्यमंत्री श्री ओमप्रकाश चौटाला जी।

मुख्य मंत्री

1. श्री ओमप्रकाश चौटाला नरवाना

मंत्री

- 2. श्री संपत सिंह भट्टू कलां
- 3. श्री धीरपाल सिंह बादली
- 4. श्री अशोक कुमार धानेसर
- 5. श्री करतार सिंह भडाना समालखा
- 6. श्री जसविन्द्र सिंह सन्धु पेहवा

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 7. श्री मुन्नी लाल रंगा | बावल (अनुसूचित जाति) |
| 8. श्री मोहम्मद इलीयास | फिरोजपुर झिरका |
| 9. श्री रिसाल सिंह | मुलाना (अनुसूचित जाति) |
| 10. श्री सुभाष चन्द | हांसी |
| 11. श्री बहादुर सिंह | लोहारू |

महिला सदस्यारं

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 12. श्रीमती अनीबा | सारहाघास |
| 13. श्रीमती सरिता | कलानौर (अनुसूचित जाति) |
| 14. श्रीमती वीना | अम्बाला शहर |
| 15. श्रीमती बिद्या देवी | दड़वाकलां |

अम्बाला जिला

- | | |
|---------------------|---------------|
| 16. श्री अनिल विज | अम्बाला कैन्ट |
| 17. श्री जयवीर मलौर | नग्गल |
| 18. श्री पवन कुमार | भारत्यणगढ़ |

भिवानी जिला

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 19. श्री बंसीलाल | भिवानी |
| 20. श्री धर्मवीर | तोशाम |
| 21. श्री जगजीत | दादरी |
| 22. श्री राम किशन | बवानी खेड़ा (अनुसूचित जाति) |
| 23. श्री रणवीर सिंह | बाढड़ा |
| 24. श्री शशि रंजन पंवार | भूढाल खुर्द |

फरीदाबाद जिला

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 25. श्री भगवान सहाय रावत | हथीन |
| 26. श्री चन्द्र भाटियां | फरीदाबाद |
| 27. श्री कर्ण सिंह दलाल | पलवल |
| 28. श्री कृष्ण पाल | मेवला महाराजपुर |
| 29. श्री राजेन्द्र सिंह विसला | बल्लभगढ़ |

(1)4

हरियाणा विधान सभा

[9 मार्च, 2000

[सचिव]

30. श्री उदयभान हसनपुर (अनुसूचित जाति)

फतेहाबाद जिला

31. श्री जरनैल सिंह रतिया (अनुसूचित जाति)

32. श्री लीला कृष्ण फतेहाबाद

33. श्री निशान सिंह दोहाना

गुड़गांव जिला

34. श्री धर्मपाल सोहाना

35. श्री गोपी चन्द गुड़गांव

36. श्री हामिद हुसैन मुंह

37. श्री रामबीर सिंह पटौदी (अनुसूचित जाति)

38. श्री जाकिर हुसैन तावडू

हिसार जिला

39. श्री भजन लाल आदमपुर

40. श्री जयप्रकाश बरवाला

41. श्री ओमप्रकाश जिंदल हिसार

42. श्री पूर्ण सिंह घिराय

43. श्री रामभगत नारनींद

झज्जर जिला

44. श्री दरयाब सिंह झज्जर (अनुसूचित जाति)

45. श्री नफे सिंह बहादुरगढ़

46. श्री रघुबीर सिंह बेरी

जींद जिला

47. श्री भाग सिंह उचाना कलां

48. श्री मांगे राम गुप्ता जींद

49. श्री राम कुमार राजींद

50. श्री रामफल कुंडू सफीदों

51. श्री शेर सिंह जुलाना

12.00 बजे

कैथल जिला

52. श्री अमर सिंह ढांडे
53. श्री दीना राम
54. श्री लीला राम
55. श्री रामपाल माजरा
56. श्री तेजवीर

गुहला (अनुसूचित जाति)
कलायत (अनुसूचित जाति)
कैथल
पाई
पुंडरी

करनाल जिला

57. श्री भीमसैन
58. श्री धर्मपाल
59. श्री कृष्ण लाल
60. श्री नफे सिंह
61. श्री रमेश राणा

इन्त्री
नीलोखेड़ी
असन्ध (अनुसूचित जाति)
जुंडला (अनुसूचित जाति)
घरींझा

कुसुमन जिला

62. श्री कपूर चन्द

शाहबाद

महेन्द्रगढ़ जिला

63. श्री दान सिंह
64. श्री मूला राम
65. श्री नरेन्द्र सिंह

महेन्द्रगढ़
नारनौल
अटेली

पंचकुला जिला

66. श्री चन्द्र मोहन

कालका

पानीपत जिला

67. श्री बलवीर पाल
68. श्री सतवीर सिंह कादियान

पानीपत
नौलथा

रिवाड़ी जिला

69. श्री अजय सिंह
70. श्री इंद्रजीत सिंह

रिवाड़ी
जादूसाना

[सचिव]

रोहतक जिला

- | | |
|-------------------------|--------|
| 71. श्री बलबीर | महम |
| 72. श्री बलवंत सिंह | हसनगढ़ |
| 73. श्री भूपेन्द्र सिंह | किलोई |
| 74. श्री शादी लाल | रोहतक |

सिरसा जिला

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 75. श्री लक्ष्मण दास अरोड़ा | सिरसा |
| 76. श्री सीता राम | डबवाली (अनुसूचित जाति) |

सोनीपत जिला

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 77. श्री देवराज दिवान | सोनीपत |
| 78. श्री जीतेन्द्र सिंह | कैलाना |
| 79. श्री पदम सिंह | रोहट |
| 80. श्री रमेश कुमार खटक | बडीदा (अनुसूचित जाति) |
| 81. श्री राम कुमार | गोहाना |

यमुनानगर जिला

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 82. श्री बलवंत सिंह | सढौरा (अनुसूचित जाति) |
| 83. श्री वन्ता राम | रादौर (अनुसूचित जाति) |
| 84. श्री बिसन लाल सैनी | जगाधरी |
| 85. श्री जयप्रकाश | यमुनानगर |
| 86. श्री कंवर पाल | छछरौली |

सोनीपत जिला (पुनरारम्भ)

- | | |
|------------------|-----|
| 87. श्री सूरज मल | राई |
|------------------|-----|

सदस्य द्वारा त्यागपत्र

श्री कार्यकारी अध्यक्ष : हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 58(2) के परन्तुक के अधीन मुझे सदन की सूचित करना है कि श्री ओम प्रकाश चौटाला जो 10वीं हरियाणा विधान सभा के सदस्य के रूप में दो विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से अर्थात् 45—नरवाना और

83—रोड़ी से निर्वाचित घोषित किये गये थे, ने 29 फरवरी, 2000 को रोड़ी विधान सभा क्षेत्र से अपना त्याग-पत्र दे दिया था तथा तत्कालीन अध्यक्ष महोदय ने उक्त तिथि से उसे स्वीकार कर लिया था।

अनुपस्थिति संबंधी सूचना

श्री कार्यकारी अध्यक्ष : दूसरी बात मुझे सदन को यह सूचित करनी है कि श्री जयप्रकाश जो करनाल विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं, की तरफ से मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने इस सत्र में उपस्थित होने के लिए अपनी असमर्थता व्यक्त की है।

अध्यक्ष का चुनाव

श्री कार्यकारी अध्यक्ष : सदस्यगण, अब अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। माननीय मुख्य मंत्री महोदय इसके लिए प्रस्ताव करेंगे।

मुख्य मंत्री (श्री ओमप्रकाश चौटाला) : कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि—

“श्री सतबीर सिंह कादयान, जो हरियाणा विधान सभा के सदस्य हैं, और सदन में उपस्थित हैं, सभा के अध्यक्ष के रूप में पीठासीन हों”।

मैं सारे सदन से अनुरोध करूँगा कि उन्हें यूनानिमसली अध्यक्ष पद के लिए चुना जाए।

श्री धर्मवीर : कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, मेरी छोटी सी अर्ज है कि हरियाणा प्रांत में पंचायत में जब भी कोई अध्यक्ष पद के लिए चुना जाता है तो वह सबसे बुजुर्ग आदमी होता है। इसलिए इस सदन में चौधरी बंसीलाल जी सबसे बुजुर्ग हैं इसलिए मेरा अनुरोध है कि अगर उनको अध्यक्ष पद के लिए चुना जाए तो ठीक होगा।

श्री बंसी लाल : कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, मेरे से बुजुर्ग तो और भी सदस्य होंगे लेकिन मैं मुख्य मंत्री महोदय की बात से सहमत हूँ कि अध्यक्ष पद के लिए चुनाव निर्विरोध होना चाहिए।

श्री भजन लाल : कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदन के नेता ने अध्यक्ष के पद के लिए श्री सतबीर सिंह कादयान का नाम प्रस्तुत किया है। मैं इसकी तार्ईद करता हूँ। श्री सतबीर सिंह कादयान जी काफी सुलझे हुए आदमी हैं और तीसरी बार इस महान सदन के सदस्य चुनकर आये हैं, उनका काफी लम्बा तजुर्बा है और मुझे पूर्ण आशा है कि वे सभी सदस्यों का पूरा ख्याल रखेंगे और सभी सदस्यों को एक आंख से देखेंगे और किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, सभी सदस्यों को इन्साफ देंगे। मैं चौटाला साहब से एक बात कहना चाहूँगा कि देश में यह परम्परा रही है कि स्पीकर सत्ता पक्ष का बन जाये और डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष की बड़ी पार्टी का होना चाहिए। अगर आप यह बात मान सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात होगी। आप हमारी पार्टी में से किसी भी सदस्य का नाम रख दें हम आपके कहे अनुसार उसी सदस्य को बना देंगे।

श्री कृष्ण पाल : कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो अध्यक्ष पद के लिए श्री सतबीर सिंह कादयान जी का नाम प्रस्तुत किया है, मैं उनके नाम का समर्थन करता हूँ।

श्री जगजीत सिंह सांगवान : कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो श्री सतबीर सिंह कादयान का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ।

श्री कर्ण सिंह दलाल : कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अध्यक्ष पद के लिए श्री सतबीर सिंह कादयान का नाम प्रस्तुत किया है, मैं भी उसका समर्थन करता हूँ।

श्रीमती अनिता : कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, मैं भी महिला सदस्याओं की तरफ से श्री सतबीर सिंह कादयान जी को अध्यक्ष पद पर बैठाने के लिए समर्थन करती हूँ।

श्री राम भगत : कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, मैं अपने निर्दलीय साथियों की तरफ से मुख्य मंत्री महोदय के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ, इन्होंने एक अच्छे, काबिल और योग्य आदमी का नाम इस महान हाऊस के अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तुत किया है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, मैं भी अपनी पार्टी की तरफ से, जैसा कि हमारे नेता श्री भजन लाल जी ने कहा है, मुख्य मंत्री महोदय जी के प्रस्ताव का स्वागत करता हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं कि अध्यक्ष पद का चुनाव निर्विरोध होना चाहिए। इसके साथ-साथ एक अच्छा सुझाव हमारी पार्टी की तरफ से आया है कि उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दें क्योंकि इस समय विपक्ष मजबूत भी है। हमारे इस सुझाव पर मुख्य मंत्री महोदय गौर करेंगे, शायद वे यह कहेंगे कि पहले ऐसी प्रथा नहीं रही है। यह बात ठीक है कि हमारी पार्टी के राज में भी कभी ऐसा नहीं हुआ लेकिन कभी न कभी इस प्रथा को बदलना चाहिए। यह समय अच्छा है जब विपक्ष मजबूत है। इसलिए आप उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दें और हम मिलजुल कर काम करेंगे। मुख्य मंत्री महोदय अपनी मर्जी से विपक्ष में से किसी एक को चुनकर उपाध्यक्ष का पद दें। यह प्रजातंत्र में मजबूत संकेत होगा और हरियाणा विकास करेगा। जैसा कि भजन लाल जी ने कहा कि अध्यक्ष महोदय को चाहिए कि वे सबको एक आंख से देखें, मैं कहना चाहूंगा कि एक आंख से नहीं दोनों आंखों से चारों तरफ देखें।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, मैं भी सदन के नेता का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए श्री सतबीर सिंह कादयान के नाम का प्रस्ताव किया है। कादयान जी सदन के बहुत पुराने, अनुभवी और कर्मठ सदस्य रहे हैं। इसके साथ-साथ मैं सदन के नेता से निवेदन करता हूँ कि पार्टियों से भी ऊपर उठकर भगवान की कृपा से जो निर्दलीय चुनकर आए हैं, उनमें से ही किसी को डिप्टी स्पीकर का पद दें क्योंकि निर्दलीय दूसरी पार्टियों के चुने हुए लोगों से कहीं ज्यादा महत्व रखते हैं। इसलिए सदन के नेता से मेरी प्रार्थना है कि, वैसे भी डिप्टी स्पीकर का पद निर्दलीय मैम्बरज के हिस्से में आता है, वह उन्हें दें।

श्री गोपी चन्द गहलोत : कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, मैं भी बिसला जी की बात का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ कि डिप्टी स्पीकर की कुर्सी किसी निर्दलीय को ही मिलनी चाहिए तथा मैं कादयान साहब के अध्यक्ष पद के लिए चुने जाने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री उदय भान : कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, मैं भी मुख्य मंत्री महोदय के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। श्री सतबीर सिंह कादयान जी एक सुलझे हुए तथा अनुभवी सदस्य हैं। जैसा कि मेरे साथियों ने कहा है कि उपाध्यक्ष महोदय का पद किसी भी निर्दलीय को दें तो मैं भी इसका समर्थन करता हूँ।

श्री देवराज दीवान : कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने कादयान साहब का अध्यक्ष पद के लिए चुने जाने का जो प्रस्ताव रखा है मैं भी उसका समर्थन करता हूँ तथा साथ ही विसला जी ने जो प्रस्ताव रखा है कि किसी निर्दलीय को उपाध्यक्ष का पद दें, इस नई प्रथा की आज से शुरुआत होनी चाहिए। मुख्यमंत्री महोदय जी इस बारे में सोचें। निर्दलीय मैम्बर से मुख्यमंत्री महोदय सलाह करके किसी को चुन लें या फिर यहीं बैठे-बैठे किसी का नाम ले लें। हाऊस इससे सहमत होगा।

श्री हरियाव सिंह : कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, मैं भी मुख्य मंत्री महोदय के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ तथा साथ ही साथ निवेदन करता हूँ कि वे किसी आजाद मैम्बर को उपाध्यक्ष के पद के लिए चुन लें।

श्री कार्यकारी अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

कि श्री सतबीर सिंह कादयान, जो हरियाणा विधान सभा के सदस्य हैं और सदन में उपस्थित हैं, सभा के अध्यक्ष के रूप में पीठासीन हों। क्या कोई अन्य प्रस्ताव है ?

आवाजें : नहीं।

श्री कार्यकारी अध्यक्ष : क्योंकि सदन के समक्ष कोई दूसरा प्रस्ताव नहीं है, इसलिए मैं श्री सतबीर सिंह कादयान को विधिवत अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से निर्वाचित घोषित करता हूँ तथा उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे अपना स्थान ग्रहण करें। (तालियाँ)

(Shri Satbir Singh Kadyan escorted by the Chief Minister, Shri Bhajan Lal a member of the Indian National Congress party, Shri Krishan Pal, a member of the Bhartiya Janata Party and Shri Dev Raj Dewan, an independent member occupied the chair.)

बधाई भाषण

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे सदन का इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूँ कि सभी सदस्यों ने पुरानी परम्परा को निभाते हुए सर्वसम्मति से इस सदन के अध्यक्ष के रूप में श्री सतबीर सिंह कादयान को सहयोग और समर्थन देने का आश्वासन दिया। मैं अध्यक्ष महोदय से भी विशेष रूप से अनुरोध करूँगा कि वे इस पद की गरिया को बरकरार रखते हुए इस सम्मानित सदन के सभी सम्मानित सदस्यों के साथ एक जैसा व्यवहार करेंगे और सभी सदस्यों को प्रजातांत्रिक प्रणाली को पूरी तरह से निभाने में छूट प्रदान करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको पूरे सदन की तरफ से आश्वासन देना चाहूँगा कि सदन हर संभव प्रयास करेगा कि आपको पूरा सहयोग और समर्थन मिले। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद!

श्री भजन लाल (आदमपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपको सभी माननीय सदस्यों ने यूनानीमसली अध्यक्ष पद के लिए चुना है, इसके लिए मैं आपको तहे-दिल से मुबारकवाद देता हूँ। आप बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं। आपने जमाना देखा है। इस हाऊस को भी चलते हुए देखा है। आप सारी बातें अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। हम आपसे यह उम्मीद करते हैं कि आपके अध्यक्ष बनने से इस

[श्री भजन लाल]

महान सदन में एक नया माहौल, नया वातावरण बनेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको अपने दल की तरफ से विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा दल पूरी तरह से इस महान सदन की मर्यादा को निभाते हुए आपको पूरा सहयोग देगा और कोई भी ऐसी बात नहीं करेगा जिससे आप दुविधा में पड़ जायें। मैं अंत में यह जरूर कहूंगा कि आप अपनी दोनों आंखों से चारों तरफ बराबर देखें और सभी सदस्यों को इंसाफ दें। हम परमात्मा से यह भी प्रार्थना करेंगे कि यह हाऊस पूरे पांच साल तक चले। खुशसूरती के साथ चले। पुनः बधाई हो।

श्री बंसी लाल (भिवानी) : अध्यक्ष महोदय, सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने जाने पर मैं आपको बधाई देता हूँ और मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि हमारे दल की तरफ से आपको पूरा सहयोग मिलेगा।

श्री कृष्ण पाल (भिवला महाराजपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने जाने पर अपनी पार्टी की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपकी तरफ से किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं होगा, सभी को इंसाफ मिलेगा और हमारी पार्टी का सहयोग हमेशा आपको मिलता रहेगा।

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको मुबारकवाद देता हूँ कि जिस संवैधानिक पद पर आप सर्वसम्मति से विराजमान हुए हैं यह पूरे सदन के लिए और हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए गौरव की बात है। अध्यक्ष महोदय, आपने पिछले कई सालों से बड़ी नज़दीकी से सदन की कार्यवाही देखी है और मुझे यह कहने में कोई आपत्ति नहीं कि आप उन सदस्यों को विशेष रियायत देंगे जो पहली बार चुनकर आये हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो विधान सभा के लिए यह बहुत ही अच्छा कार्य होगा चाहे वे नये सदस्य किसी भी दल से चुनकर आये हों (विघ्न) मैं तो पिछली दो दफा से हरियाणा विधान सभा का सदस्य बनता आ रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, आप भी देखते रहे हैं कि जो वरिष्ठ सदस्य हैं जैसे कि मंत्रीगण, मुख्य मंत्री या फिर विपक्ष के नेता जो होते हैं, उनको सदन में बोलने का ज्यादा अवसर मिल जाता है जबकि नये सदस्यों या छोटे दलों के सदस्य, जो होते हैं, उनको कई दफा बोलने का समय लेने में बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सभी माननीय सदस्यों को अपनी बात कहने का और उनको अपने हल्के की दुःख तकलीफें सदन रखने का पूरा अवसर प्रदान करें। अध्यक्ष महोदय, मेरी इस बात का बुरा न मानें कि जिस पद पर आप शोभायमान हुए बैठे हैं, इस पद पर सदन के नेता मुख्य मंत्री जी के आशीर्वाद से उन्हीं के दल के सदस्य का नाम ही प्रस्तावित किया जाता है लेकिन कई दफा सदन के अन्दर हम देखते हैं कि ऐसी-ऐसी बातें भी की जाती हैं जोकि सदन की गरिमा के विरुद्ध होती हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि सदन की गरिमा को देखते हुए आप ऐसे फैसले करें जिससे किसी भी सदन के सदस्य को किसी तरह की तकलीफ न हो। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां नये विधायक जो बन कर आते हैं, दो-तीन साल तक तो उन्हें यह पता नहीं चल पाता कि कौन सी बात किस तरीके से करनी है और किसी बात का विरोध करना है तो किस तरह से करना है। जैसा कि हम दूसरे प्रदेशों की विधानसभाओं में भी जाकर देखते हैं और देश की लोकसभा तथा राज्यसभा में भी जा कर देखते हैं, पिछले दिनों मुझे रोहतक जाने का मौका मिला तो वहां भी विश्वविद्यालयों के अन्दर वहां के विद्यार्थियों ने हमें हमारे पार्लियामेंट सिस्टम के ऊपर पूरी लोकसभा स्तर का एक ड्रामा टाइप वहां दिखाया था कि किस तरीके से कौन सी बात कहां कही जाती है, मंत्री का क्या दायित्व है और विपक्ष

का क्या दावित्व है। अध्यक्ष महोदय, वैसे ही हमारी विधानसभा के सदस्यों के लिये भी अगर आप कोई इस तरह का प्रशिक्षण केन्द्र चला सकें जिससे कि उन्हें सदन की कार्यप्रणाली के बारे में अधिक जानकारी मिल सके या फिर कई वरिष्ठ सदस्य कोई ऐसा कार्यक्रम रख सकें जिससे नये सदस्यों को लाभ हो, दूसरी जो भी अच्छी बातें सदन के सदस्यों के लिये हो सकती हैं, आप करें। मुझे उम्मीद है कि इन बातों के ऊपर आप विचार करेंगे। मैं एक दफा फिर आपको अध्यक्ष पद पर आसीन होने के लिए मुबारकवाद देता हूँ। धन्यवाद।

श्री जगजीत सिंह सांगवान (दादरी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके सर्वसम्मति से चुने जाने पर मैं आपको नैशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ से बधाई देता हूँ और आश्वासन देता हूँ कि हम अपनी तरफ से आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं आप सबका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ कि आप सबने मुझे सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर चुनकर बिठाया और आप सब ने इस गरिमा भरे पद के सम्बन्ध में बहुत सी बातें कहीं और अपने विचार प्रकट किये। मैं भी इस बात की पूरी कोशिश करूँगा कि जैसा यह पद है, वैसा बनकर मैं वैसे ही कार्य करूँ जिससे कि न केवल हरियाणा प्रदेश में बल्कि पूरे देश में हरियाणा प्रदेश एक मिसाल बने और ऐसी कोई घटना यहाँ पर नहीं घटेगी जो कि कभी-कभी दूसरे प्रदेशों की विधान सभाओं में घटती है। चाहे सत्ता पक्ष है, विपक्ष है या दूसरे जो सदस्य हैं उन सब को साथ लेकर चलेंगे। सब की भावनाओं का आदर किया जाएगा और सब को सम्मान दिया जाएगा। नये सदस्यों को समय ज्यादा मिले तो वे अच्छी तरह से अपनी बात कह सकेंगे। जो तरीके या बातें सुझाई गई हैं, इस तरह की व्यवस्था भी की जा सकती है। रूल्स/प्रोसिजर के ऊपर कुछ लैक्चर्स दिये जा सकते हैं जिससे कि नये सदस्यों को सदन की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी मिल सके। नये सदस्यों को शुरू में अपनी बात कहने में कुछ झिझक होती है, पूरा ज्ञान नहीं होता है जिसके कारण वे अपने हल्के से संबंधी समस्याओं को सदन में कह नहीं पाते। इसलिये उनकी झिझक खत्म करने व सदन में ठीक ढंग से सुझाव देने के लिये कुछ दिनों के लिये ट्रेनिंग कैम्प लगाये जा सकते हैं। दलाल साहब ने यह एक अच्छा सुझाव दिया है। मैं चाहूँगा कि आप सब का सहयोग मुझे मिलता रहे और आपके सहयोग से प्रजातंत्र को मजबूत 13.00 बजे करने में अपनी योग्यता से आँखें और मन खोलकर अपने दिमाग से काम करने की चेष्टा करूँगा। मैं आज से इण्डियन नेशनल लोकदल के जनरल सेक्रेटरी के पद से और उसकी मैम्बरशिप से त्यागपत्र देता हूँ ताकि मैं निष्पक्ष होकर काम कर सकूँ। मैं आप सभी को पूरा भरोसा और यकीन दिलाता हूँ कि मैं किसी के साथ भेदभाव और पक्षपात का रवैया नहीं अपनाऊँगा। साथ ही साथ मैं सभी सदस्यगण की भावनाओं का आदर और सम्मान करूँगा और मैं यह भी उम्मीद करूँगा कि मुझे भी सभी भैम्बर्ज की तरफ से हाऊस की कार्यवाही सुचारु रूप से चलाने में भरपूर सहयोग मिलेगा। मैं सभी सदस्यगण से उम्मीद रखूँगा कि वे इस सदन की कार्यवाही चलाने में अपनी रचनात्मक भूमिका निभाएँगे ताकि मैं इस गरिमामय पद की शोभा को बनाए रख सकूँ। अन्त में मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद करता हूँ तथा आप सभी ने मुझ में अपना जो विश्वास जताया है उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष के चुनाव संबंधी घोषणा

Mr. Speaker : Under Rule 10(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I as a Speaker of the Haryana

[Mr. Speaker]

Vidhan Sabha will declare a date in connection with the election of the Deputy Speaker later on.

Hon'ble Members, as the Governor is to address the House today at 2.30 P.M.; therefore, the House is adjourned till immediately half an hour after the conclusion of the Governor's Address.

*13.02 Hrs. (The Sabha then *adjourned till immediately half an hour after the conclusion of the Governor's Address on Thursday, the 9th March, 2000).